[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या 41–एच०एल०ए०

हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2025

मार्च, 2026 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से किन्हीं और कतिपय राशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, 2025, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के खाना 11 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक की ऐसी राशियां, जो कुल मिलाकर केवल ₹ 5635,38,20,000/– (केवल पांच हजार छह सौ पैंतीस करोड़ अड़तीस लाख बीस हजार रुपये) होती है, ऐसे विभिन्न खर्चों को चुकाने के लिए जो उक्त अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बारे में, मार्च, 2026 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान भुगतान के सिलसिले में होंगे, हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान तथा उपयोग में लाई जा सकेंगी। वर्ष 2025–26 के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से ₹ 5635,38,20,000/– का दिया जाना।

3. इस अधिनियम द्वारा हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान की जाने और उपयोग में लाई जाने के लिए प्राधिकृत राशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, जो मार्च, 2026 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में बताए गए हैं। विनियोग।

अनु

मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	मुख्य शीर्ष राजस्व	राशियां, जो निम्नलिखित से अधिक न हों विधान सभा द्वारा किए गए अनुदान	 संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
02	राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्	2012- राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	—	2,90,00,000	2,90,00,000
		कुल	**—**	**2,90,00,000**	**2,90,00,000**
05	गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा)/ जेल (कारागार)/ न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/ अभियोजन/ एनजीओटी/कानूनी सेवा प्रधिकरण)	2055- पुलिस	75,00,00,000	—	75,00,00,000
		कुल	**75,00,00,000**	**—**	**75,00,00,000**
06	वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/ आयोजना तथा सांख्यिकी (डीईएसए)	3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं	8,00,000	—	8,00,000
		कुल	**8,00,000**	**—**	**8,00,000**
07	राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां		—	—	—
		कुल	**—**	**—**	**—**
10	कृषि एवं किसान कल्याण/बागबानी/ पशुपालन और डेयरी विकास/ मत्स्य पालन/ खान एवं भूविज्ञान/ पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव	2401- फसल कृषि कर्म	400,03,00,000	—	400,03,00,000
		2402- मृदा तथा जल संरक्षण	10,00,00,000	—	10,00,00,000
		2403- पशुपालन	2,83,00,000	—	2,83,00,000
		2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी	14,32,20,000	—	14,32,20,000
		3435- परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	1,00,000	—	1,00,000

सूची

मुख्य शीर्ष पूंजीगत	राशियां, जो निम्नलिखित से अधिक न हों विधान सभा द्वारा किए गए अनुदान	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़	जोड़ राजस्व और पूंजीगत
7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
	—	—	—	2,90,00,000
	—	—	—	**2,90,00,000**
	—	—	—	75,00,00,000
	—	—	—	**75,00,00,000**
	—	—	—	8,00,000
	—	—	—	**8,00,000**
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	110,00,00,000	—	110,00,00,000	110,00,00,000
कुल	**110,00,00,000**	—	**110,00,00,000**	**110,00,00,000**
	—	—	—	400,03,00,000
	—	—	—	10,00,00,000
	—	—	—	2,83,00,000
	—	—	—	14,32,20,000
	—	—	—	1,00,000

1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
			—	—	—
			—	—	—
		कुल	**427,19,20,000**	—	**427,19,20,000**
11	सहकारिता / खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले	2425- सहकारिता	5,00,00,000	—	5,00,00,000
		कुल	**5,00,00,000**	—	**5,00,00,000**
12	शिक्षा (माध्यमिक / प्राथमिक) / उच्च शिक्षा (उच्च / तकनीकी / विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी) / महिला एवं बाल विकास	3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	1,00,000	—	1,00,000
		कुल	**1,00,000**	—	**1,00,000**
16	सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण / अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय / भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,39,00,000	—	1,39,00,000
			—	—	—
			—	—	—
		कुल	**1,39,00,000**	—	**1,39,00,000**
17	लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) / परिवहन / नागर विमानन	2059- लोक निर्माण	21,60,00,000	—	21,60,00,000
		2216- आवास	447,02,00,000	—	447,02,00,000
		3054- सड़क तथा सेतु	45,00,00,000	—	45,00,00,000
		3055- सड़क परिवहन	20,01,00,000	—	20,01,00,000

7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	1,00,000	—	1,00,000	1,00,000
5425-अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	1,00,000	—	1,00,000	1,00,000
कुल	**2,00,000**	**—**	**2,00,000**	**427,21,20,000**
	—	—	—	5,00,00,000
	—	**—**	**—**	**5,00,00,000**
	—	—	—	1,00,000
	—	**—**	**—**	**1,00,000**
	—	—	—	1,39,00,000
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3,00,00,000	—	3,00,00,000	3,00,00,000
4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1,00,000	—	1,00,000	1,00,000
कुल	**3,01,00,000**	**—**	**3,01,00,000**	**4,40,00,000**
	—	—	—	21,60,00,000
	—	—	—	447,02,00,000
	—	—	—	45,00,00,000
	—	—	—	20,01,00,000

1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
			—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		कुल	**533,63,00,000**	—	**533,63,00,000**
18	सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति/मुद्रण तथा लेखन सामग्री	2220- सूचना तथा प्रचार	60,00,00,000	—	60,00,00,000
			—	—	—
		कुल	**60,00,00,000**	—	**60,00,00,000**
19	ऊर्जा विभाग (विद्युत/नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन	2801- बिजली	3346,94,00,000	—	3346,94,00,000
		2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग	1,00,000	—	1,00,000
		2852- उद्योग	2,00,000	—	2,00,000
			—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		कुल	**3346,97,00,000**	—	**3346,97,00,000**
20	नगर तथा ग्राम आयोजना/शहरी सम्पदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय	2215- जलापूर्ति तथा सफाई	10,08,00,000	—	10,08,00,000
		2217- शहरी विकास	3,00,000	—	3,00,000

7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिवयय	219,00,00,000	—	219,00,00,000	219,00,00,000
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	1,00,00,000	—	1,00,00,000	1,00,00,000
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	40,00,00,000	—	40,00,00,000	40,00,00,000
5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	1,00,000	—	1,00,000	1,00,000
7055-सड़क परिवहन के लिए ऋण	1,00,000	—	1,00,000	1,00,000
कुल	**260,02,00,000**	**—**	**260,02,00,000**	**793,65,00,000**
	—	—	—	60,00,00,000
4220-सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	69,00,00,000	—	69,00,00,000	69,00,00,000
कुल	**69,00,00,000**	**—**	**69,00,00,000**	**129,00,00,000**
	—	—	—	3346,94,00,000
	—	—	—	1,00,000
	—	—	—	2,00,000
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	10,00,00,000	—	10,00,00,000	10,00,00,000
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिवयय	—	15,00,00,000	15,00,00,000	15,00,00,000
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	50,00,00,000	—	50,00,00,000	50,00,00,000
कुल	**60,00,00,000**	**15,00,00,000**	**75,00,00,000**	**3421,97,00,000**
	—	—	—	10,08,00,000
	—	—	—	3,00,000

1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
	(स्थानीय सरकार)/ विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास)/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,00,000	—	1,00,000
			—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		कुल	**10,12,00,000**	—	**10,12,00,000**
		कुल जोड़	**4459,39,20,000**	**2,90,00,000**	**4462,29,20,000**

7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
	—	—	—	1,00,000
4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	301,02,00,000	—	301,02,00,000	301,02,00,000
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	350,01,00,000	—	350,01,00,000	350,01,00,000
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5,00,00,000	—	5,00,00,000	5,00,00,000
6217-शहरी विकास के लिए कर्ज	1,00,000	—	1,00,000	1,00,000
कुल	**656,04,00,000**	—	**656,04,00,000**	**666,16,00,000**
कुल जोड़	**1158,09,00,000**	**15,00,00,000**	**1173,09,00,000**	**5635,38,20,000**

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) तथा 205 के अनुसरण में वित्त वर्ष 2025–26 के खर्च के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुपूरक अनुदानों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित राशियों के विनियोग हेतु उपबन्ध करने के लिए पेश किया जाता है।

नायब सिंह,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ : राजीव प्रसाद,
दिनांक : 19 दिसम्बर, 2025 सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।